

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान
INDIAN STATISTICAL INSTITUTE

दिल्ली केन्द्र Delhi Centre

परिवार के सदस्यों के संबंध में घोषणा पत्र

अवकाश यात्रा रियायत (गृह नगर 2 वर्ष एवं भारत भ्रमण 4 वर्ष ब्लॉक)

EMPLOYEES DECLARATION REGARDING MEMBERS OF FAMILY

LTC (Both for Home Town 2 years and any part of India 4 yrs Block)

1. नाम Name.....रोल नं०. Roll No.....
2. पदनाम designation.....
3. इकाई/प्रभाग Unit/Division.....
4. जन्मतिथि Date of birth.....
5. पुरुष या स्त्री Male or Female.....
6. मूल वेतन Basic Pay.....
7. a. स्थायी पता Permanent Address
- b. घोषित गृह नगर Declared Home Town
8. वर्तमान पता Present Address.....

परिवार के सदस्यों का विवरण Details of members of Family*

क्रम सं०	परिवार के सदस्य का पूरा नाम	आयु	संबंध	कार्यरत हैं या नहीं	यदि हैं तो नियोक्ता का नाम पता तथा मासिक आय	घर का पता
S.No	Full Name of member of family	Age **	Relationship	Employed or not	If employed address of employer and monthly earning	Address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सभी विवरण मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मैं यह भी वचनबंध देता हूँ कि उपरोक्त घोषणा में कोई भी परिवर्तन होने पर मैं उसके होने के 30 दिन के अन्दर प्रशासन को रिपोर्ट कर दूंगा।

I hereby declare that the particulars furnished above are true to the best of my knowledge. I undertake to intimate to the Administration any changes in the above declaration within 30 days of occurrence.

कार्मिक के हस्ताक्षर **Signature of employee**

Note

* **परिवार की घोषणा** : परिवार से यहां आशय है संस्थान कर्मचारी की पत्नी/पति, जैसा भी हो, जो साथ रहते हों, धर्मज संतानें तथा सौतेली संताने, माता पिता, सौतेली माता, बहनें तथा अनुज भाई जो वास्तव में उसके साथ रहते हों तथा उस पर आश्रित हों।

परिवार की परिभाषा में केवल एक पत्नी शामिल मानी जाएगी। शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे, जो इस समय वास्तव में साथ नहीं रहते लेकिन बाद में अवकाश बिताने साथ आएंगे/रहें उन्हें भी एलटीसी उद्देश्य से परिवार में माना जाएगा।

Declaration of family : The term 'family' means of Institute workers's wife or husband, as the case may be, residing with him/her, legitimate children and step-children, parents, step mother, sisters and minor brothers residing with and wholly dependent upon the Institute worker.

Only one wife is included in the term family. Children studying in education Institutions who are not residing with an Instt employee at the time but who later come to spend the vacation with him/her may be considered as members of his family for the purpose of LTC.

** समर्थक दस्तावेज यदि कोई हों With supporting documents, if any.

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए **for office use only**

अग्रेषित forwarded

लेखाधिकारी
A/c Officer

(प्रभाग/इकाई/अनुभाग/विभाग
के प्रमुख के हस्ताक्षर)

पंजीकरण की तिथि

(Signature of the Head of
Div/Unit/Sec/Deptt)

Date of Registration

के रूप में स्वीकृत

रिकार्ड